

दूरभाष/फैक्स-011-23017203

सं.-19015/1/2020-पपा./केंहिंप्रसं./

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान

email:adptracharchti-dol@nic.in

2-ए, पृथ्वीराज रोड,

नई दिल्ली. 110011.

दिनांक- 26/08/2020

सेवा में,

सभी संपर्क अधिकारी (हिंदी)

निदेशक/संयुक्त निदेशक /उप निदेशक /प्रशासनिक अधिकारी

सभी मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, निगम, निकाय, उद्यम,

संगठन तथा राष्ट्रीयकृत बैंक आदि।

विषय - केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का 31वें ऑनलाइन सत्र (अगस्त 2020 से मई 2021)।

महोदय/महोदया,

कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राजभाषा विभाग का पत्र संख्या 140/12/2020, दिनांक 23 जुलाई, 2020 के तहत दिए गए निर्देश (प्रशिक्षण) के अनुसार हिंदी प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नया ऑनलाइन सत्र 16.09.2020 से आरंभ किया जाएगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के तहत पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षुओं की योग्यता एवं पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाए-

1.	2.	3.	4.	5.
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम एवं सत्र	उद्देश्य	अवधि और आवेदन की अंतिम तिथि	पात्रता	प्रोत्साहन
भाषा पत्राचार के माध्यम से प्रबोध प्रवीण एवं प्राज्ञ पाठ्यक्रम का 31 वाँ सत्र (अगस्त 2020 से मई 2021)	ये पाठ्यक्रम भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुपालन में केंद्र सरकार तथा उसके उपक्रमों, निगमों, निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के उन अधिकारियों / कर्मचारियों को हिंदी का सेवाकालीन प्रशिक्षण देने के लिए आयोजित किए जाते हैं, जिनके लिए यह प्रशिक्षण अनिवार्य है।	एक वर्ष 30 सितंबर, 2020.	जो अधिकारी / कर्मचारी गृह मंत्रालय की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रबोध/ प्रवीण/ प्राज्ञ कक्षाओं में प्रवेश लेने के लिए पात्र हैं किंतु जो अपनी तैनाती के स्थानों पर हिंदी प्रशिक्षण की सुविधाओं के उपलब्ध न होने या किन्हीं अन्य कारणों से अब तक प्रशिक्षित नहीं किए जा सके हैं। पात्रता संबंधी विस्तृत जानकारी के लिए परिशिष्ट-1 देखें।	केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली के दिनांक 15.5.1991 के का.जा.सं.19015/4/91-केंहिंप्रसं.12256 के अनुसार पत्राचार के माध्यम से प्रबोध, प्रवीण व प्राज्ञ परीक्षा उत्तीर्ण करने पर यह माना जाएगा कि उन्होंने यह परीक्षा निजी प्रयत्नों से उत्तीर्ण की है। अतः निजी प्रयत्नों से परीक्षा उत्तीर्ण करने पर मिलनेवाले नकद पुरस्कार उन्हें का.जा.सं.-21034/66/2010-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29.7.2011 के अनुसार देय होंगे। इन पुरस्कारों पर आने वाला व्यय संबंधित कार्यालय द्वारा वहन किया जाएगा।

2. वित्तीय प्रोत्साहन

परीक्षाएँ पास करने पर नकद पुरस्कार

कक्षा	प्राप्तांक	प्रतिशत	
	55 प्रतिशत	60 प्रतिशत	70 प्रतिशत
प्रबोध	रु. 400 /-	रु. 800 /-	रु.1600 /-
प्रवीण	रु. 600 /-	रु. 1200 /-	रु. 1800 /-
प्राज्ञ	रु.800 /-	रु. 1600 /-	रु. 2400 /-

निजी प्रयत्नों से परीक्षाएँ पास करने पर एकमुश्त पुरस्कार

प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
रु. 1600/-	रु. 1500/-	रु. 2400/-

टिप्पणी-

जो प्रशिक्षार्थी निजी प्रयत्नों से हिंदी शिक्षण योजना की हिंदी भाषा की परीक्षाएँ उत्तीर्ण करते हैं उनको एकमुश्त पुरस्कार के अलावा नकद पुरस्कार प्रदान करते समय निर्धारित किए गए प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंक कम प्राप्त करने पर भी नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। पत्राचार पाठ्यक्रम से परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने पर प्रशिक्षार्थियों को नकद पुरस्कार के साथ-साथ एक मुश्त पुरस्कार भी देय हैं।

वैयक्तिक वेतन-

केंद्र सरकार के अधिकारियों/कर्मचारियों को हिंदी भाषा की प्रबोध/प्रवीण/प्राज्ञ परीक्षा में से जो भी परीक्षा संबंधित प्रशिक्षार्थी के लिए अंतिम परीक्षा निर्धारित की गई है उस परीक्षा को उत्तीर्ण करने पर 12 महीने की अवधि के लिए एक वेतन वृद्धि के बराबर राशि का वैयक्तिक वेतन दिया जाता है।

पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए केवल निर्धारित प्रपत्र में हिंदी और अंग्रेजी(दोनों भाषाओं) में विधिवत भरे हुए आवेदन पत्रों पर ही विचार किया जाएगा। पात्रता सुनिश्चित करने के बाद पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों के आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रवेश हेतु 30 सितंबर, 2020 तक निम्नलिखित पते पर अग्रेषित किए जाएँ -

प्रभारी सहायक निदेशक
पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध (भाषा)
केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान,
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
2ए, पृथ्वीराज रोड,
नई दिल्ली. 110011.

email:- adptracharchti-dol@nic.in

सभी कार्यालयों/विभागों के विभागाध्यक्षों से पुनः अनुरोध है कि सत्र 2020-21 के लिए अपने कार्यालयों से उपर्युक्त भाषा -प्रशिक्षण हेतु अधिक से अधिक अधिकारियों/ कर्मचारियों को नामित करने का कष्ट करें। राजभाषा प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण कार्य में आपका सहयोग सराहनीय होगा।

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे इस संबंध में अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी सूचित करें।

संपर्क सूत्र -

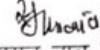
प्रभारी अधिकारियों का नाम	दूरभाष्य/ मोबाइल नंबर
श्रीमती प्रतिभा मलिक	011-23017203, मो.-7982905394
सुश्री कृष्णा देवी	011-23017203, मो.-9871608537

कोविड 19 के कारण प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ की किटें एवं उत्तर-पत्र डाक से नहीं भेजे जा रहे हैं।

अतः उक्त पाठ्यक्रम की किटें एवं उत्तर-पत्र प्राप्त करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है कृपया देखें।

<http://chti.rajbhasha.gov.in/79600721>

इस के अतिरिक्त प्रशिक्षार्थी लीला राजभाषा मोबाइल एप्प की मदद भी ले सकते हैं जो अंग्रेजी के अतिरिक्त 14 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।


(सुमन लाल)
निदेशक(प्रभारी)

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ निगम/ निकाय/ उद्यम/संगठन और राष्ट्रीय बैंक आदि।
2. भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक का कार्यालय, आई.टी.ओ, नई दिल्ली।
3. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली।
4. भारत निर्वाचन आयोग, अशोक रोड, नई दिल्ली।
5. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली।
6. प्रशासक, सभी केंद्र शासित प्रदेश।
7. निदेशक (कार्यान्वयन), निदेशक (नीति), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सेवाएं), निदेशक (अनुसंधान) और राजभाषा विभाग, MHA के सभी संलग्न और अधीनस्थ कार्यालय।
8. अध्यक्ष, सभी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ। (मेलिंग सूची के अनुसार)
9. सभी उप निदेशक, हिंदी शिक्षण योजना।
10. सहायक निदेशक (टंकण/आशु0), अनुसंधान एवं विश्लेषण एकक, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, 7वां तल पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे इसे विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
11. राज्यसभा / लोकसभा सचिवालय, नई दिल्ली।
12. सेना (मुख्यालय), एयरफोर्स (मुख्यालय), नौसेना (मुख्यालय) और रक्षा प्रशिक्षण केंद्र।
13. सीआरपीएफ (मुख्यालय), आईटीबीपी (मुख्यालय), सीआईएसएफ (मुख्यालय), आरएएफ (मुख्यालय) और उनके प्रशिक्षण केंद्र।
14. निदेशक (कार्यान्वयन), निदेशक (नीति), निदेशक (तकनीकी), निदेशक (सेवा) और निदेशक (अनुसंधान), डीओएल, एमएचए, चौथी मंजिल, NDCC बिल्डिंग -2, नई दिल्ली से अनुरोध है कि इसकी छपाई की व्यवस्था करें उपरोक्त "राजभाषा भारती"
15. केंद्रीय हिंदी निदेशालय, पश्चिम ब्लॉक -7, आर.के.पुरम, नई दिल्ली।
16. निदेशक (राजभाषा), रेलवे बोर्ड, रेल भवन, नई दिल्ली।
17. निदेशक (राजभाषा), डाक भवन, नई दिल्ली।
18. 50 अतिरिक्त प्रतियां।


(सुमन लाल)
निदेशक (प्रभारी)

परिशिष्ट - 1

भाषा पत्राचार पाठ्यक्रमों से संबंधित विस्तृत जानकारी

इस प्रशिक्षण के अंतर्गत तीन पाठ्यक्रम निर्धारित हैं।

पात्रता - इन तीनों पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पात्रता निम्नानुसार है -

प्रबोध	प्रवीण	प्राज्ञ
यह प्रशिक्षण प्रारंभिक स्तर का है। इसमें कन्नड, तमिल, मलयालम, तेलुगु, अंग्रेजी, मणिपुरी, मिजो भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। वे सभी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें हिंदी का ज्ञान प्राइमरी स्तर का नहीं है, प्रबोध प्रशिक्षण के पात्र हैं।	यह पाठ्यक्रम माध्यमिक स्तर का है। इसमें प्रबोध परीक्षा उत्तीर्ण तथा मराठी, सिंधी, मैथिली, संथाली बोडो, डोगरी, नेपाली, गुजराती, बंगला, असमिया और उड़िया भाषा भाषी अधिकारी / कर्मचारी जिन्हें मिडिल स्तर तक का हिंदी का ज्ञान नहीं है, सीधे प्रवेश ले सकते हैं।	यह अंतिम पाठ्यक्रम है। इसमें प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण अधिकारी तथा वे अधिकारी जिनका हिंदी का ज्ञान मैट्रिक स्तर से कम है नामित होंगे। उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी व पश्तो भाषा- भाषी अधिकारियों / कर्मचारियों के लिए भी प्राज्ञ स्तर का प्रशिक्षण अनिवार्य है।

टिप्पणी

- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय में कई सचिवालयीन काम करने, टिप्पणियाँ लिखने या पत्र व्यवहार करने की आवश्यकता नहीं होती (जैसे स्टाफ कार ड्राइवर, इंजन ड्राइवर, रिकार्ड सॉर्टर, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, गेस्टेटनर ऑपरेटर, डाकिया, टेलीफोन ऑपरेटर आदि) उनके लिए केवल प्रबोध प्रशिक्षण पर्याप्त है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यतः स्वयं कोई सचिवालयीन कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, परंतु जिनके लिए हिंदी में पत्र व्यवहार तथा रिपोर्ट आदि का काम करने के लिए हिंदी का ज्ञान आवश्यक हो (जैसे डॉक्टर, वैज्ञानिक, नर्स तथा वर्कशाप एवं प्रयोगशालाओं के पर्यवेक्षक आदि) उनके लिए केवल प्रवीण तक का प्रशिक्षण पर्याप्त है।
- जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को सचिवालयीन कार्य, टिप्पणी-लेखन तथा पत्र-व्यवहार करना पड़ता है, उनके लिए प्राज्ञ प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य है।
- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 06 जनवरी, 2010 के का.जा.सं.14034/30/2009-राभा(प्रशि.) के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि वर्ग 'घ' से वर्ग 'ग' में आए उन कर्मिकों के लिए जो वर्ग 'ग' श्रेणी के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता रखते हैं, को उनकी पात्रतानुसार हिंदी भाषा और हिंदी टंकण का प्रशिक्षण दिया जाए।
- प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर ये कर्मिक अग्रिम वार्षिक वेतन एवं नकद पुरस्कार पाने के हकदार होंगे।

आयु सीमा

- इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है।

परिशिष्ट - 2

पाठ्यक्रम : प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तीनों पाठ्यक्रमों का पत्राचार द्वारा प्रशिक्षण का माध्यम अंग्रेजी है।

पाठ्य सामग्री : पाठों का अध्ययन करने के बाद प्रशिक्षार्थियों को उत्तर-पत्रों में दिए गए अभ्यास हल करके उन्हें मूल्यांकन के लिए संस्थान के पत्राचार पाठ्यक्रम स्कंध को ई-मेल द्वारा भेजें। प्रायोजक अधिकारियों से यह भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि उनके द्वारा प्रशिक्षण के लिए नामित किए गए कर्मचारी अपने हल किए हुए उत्तर-पत्र (रिस्पांस-शीट) नियमित रूप से आंतरिक मूल्यांकन के लिए संस्थान को ई-मेल द्वारा भिजवाएं। आंतरिक मूल्यांकन में उत्तीर्ण होने के लिए 35 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं।

परीक्षा शुल्क : उपक्रमों, निगमों, कंपनियों, बैंकों आदि के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क संबंधित निगमों, कंपनियों, बैंकों द्वारा निम्नलिखित दर से देय होगा।

प्रबोध-100/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी

प्रवीण-100/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी

प्राज्ञ-100/- रु. प्रति प्रशिक्षार्थी

परीक्षा शुल्क का भुगतान ऑन लाइन द्वारा होगा (प्रक्रिया पृष्ठ सं 8 पर दी गयी है)। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए परीक्षा शुल्क देय नहीं है। नामांकन प्रपत्र, परीक्षा शुल्क सहित (देय होने पर) दिनांक 30 अक्टूबर, 2020 तक इस कार्यालय को ई-मेल से भेजें।

आंतरिक मूल्यांकन :

क. आंतरिक मूल्यांकन के पूर्णांक 100 अंक होंगे।

ख. आंतरिक मूल्यांकन में 35 से कम अंक प्राप्त करने वाले प्रशिक्षार्थियों को पूरक परीक्षा के रूप में नवम्बर 2021 में मौखिक परीक्षा देनी होगी तथा न्यूनतम 35 अंक प्राप्त करने पर ही उन्हें उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा।

टिप्पणी :-

क. ऑनलाइन परीक्षा शुल्क के संबंध में विस्तृत विवरण पृष्ठ- 8 पर देखें।

ख. प्रायोजक अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध किया जाता है कि पत्राचार पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले कर्मचारी परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों। यह देखा गया है कि इन पाठ्यक्रमों के लिए बहुत बड़ी संख्या में प्रशिक्षार्थी पंजीकरण करा लेते हैं, लेकिन वे नियमित रूप से अपने उत्तर पत्र नहीं भेजते अथवा परीक्षा में नहीं बैठते। इससे सरकारी धन, समय और श्रम का अपव्यय होता है। अतः यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि जो प्रशिक्षार्थी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लें, परीक्षा में अवश्य सम्मिलित हों।

ग. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रशिक्षार्थी को हर प्रश्न पत्र में तथा आंतरिक मूल्यांकन में 35-35 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किंतु किसी प्रशिक्षार्थी को यदि एक प्रश्न-पत्र में 35 से कम अंक प्राप्त हुए हैं तो उसके परिणाम में उसे पूरक (Supplementary) घोषित किया जाएगा तथा वह नवंबर 2021 की परीक्षा में केवल उसी प्रश्न पत्र की परीक्षा देगा। आंतरिक मूल्यांकन में फेल होने पर उसे मौखिक परीक्षा देनी होगी। पूरक परीक्षा वाले प्रशिक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क के रूप में 10 रुपए का बैंक ड्रॉफ्ट "उप निदेशक (परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली" के पक्ष में भेजना होगा।

घ. जो प्रशिक्षार्थी मई, 2021 की परीक्षा में एक से अधिक प्रश्न-पत्र में नहीं बैठ पाते या फेल हो जाते हैं, वे हिंदी शिक्षण योजना की मई या नवंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में पुनः बैठ सकते हैं। किंतु उस स्थिति में उन्हें प्राइवेट परीक्षार्थी माना जाएगा तथा उन्हें परीक्षा समाप्त होने के बाद अपने आंतरिक मूल्यांकन के लिए मौखिक परीक्षा भी देनी होगी। उनके द्वारा पहले हल किए गए उत्तर-पत्रों में प्राप्त अंकों को उनके आंतरिक मूल्यांकन के लिए मान्य नहीं माना जाएगा।

च. केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित की जा रही हिंदी भाषा की प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षाओं की परीक्षा प्रणाली में सुधार किए गए हैं जिसकी सूचना उप-निदेशक(परीक्षा) के कार्यालय द्वारा दिनांक 9-5-2016 को जारी पत्र सं0- 15/2/2016-उ.नि.(परीक्षा) 1022 में दी गई है। इसे www.chti.rajbhasha.gov.in पर जाकर देखा जा सकता है।

छ. कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति को देखते हुए, केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के अधीन पत्राचार द्वारा हिंदी प्रबोध, प्रवीण तथा प्राज्ञ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का नया सत्र ऑनलाइन होगा। व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम(PCP) भविष्य में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप के माध्यम से आयोजित किया जाएगा।

केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान
(भाषा पत्राचार स्कंध)
प्रवेश-पत्र

1.	पाठ्यक्रम का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
3.	पिता/पति का नाम	
4.	आवेदक का पदनाम	
5.	आवेदक का ई-मेल आई.डी.	
6.	आवेदक का मोबाइल नं	
7.	मातृभाषा	
8.	महिला / पुरुष / अन्य	
9.	शैक्षिक योग्यता	
10.	किस स्तर/कक्षा तक हिंदी पढ़ी है ?	
11.	ईमेल और मोबाइल नंबर के साथ नियंत्रण अधिकारी/नामित प्राधिकारी का नाम और पदनाम	
12.	कार्यालय का पता	
13.	दिनांक के साथ ऑनलाइन भुगतान रसीद संख्या (यदि लागू हो)	

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नियंत्रक अधिकारी का प्रमाण पत्र

(कृपया प्रमाण-पत्र हस्ताक्षर करने से पहले पात्रता की शर्तों का

अनुपालन सुनिश्चित कर लें।)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी को जो में के पद पर कार्यरत हैं, प्रशिक्षण का पात्र पाए जाने पर वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान द्वारा संचालित/पत्राचार पाठ्यक्रमों के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की अनुमति प्रदान की जाती है।

नियंत्रक अधिकारी के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

कार्यालय की मुहर के साथ

कार्यालय का स्थान-..... ई-मेल फैक्स

सं-..... दिनांक- /...../..... मोबाइल नं.-.....

परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा कराने की प्रक्रिया:-

परीक्षा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक की website [www. onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर निम्नलिखित स्टेप्स अपनाते हुए ऑनलाइन भी जमा करवाया जा सकता है। ऑनलाइन द्वारा भुगतान की गई राशि की पावती रसीद की फोटोप्रति उप निदेशक(परीक्षा), हिंदी शिक्षण योजना, नई दिल्ली कार्यालय में भेजना अनिवार्य है।

प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन फीस जमा करने के स्टेप्स

1. सबसे पहले state Bank of India की website [www. onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) में state Bank Collect नामक उप शीर्षक पर जाएं।
या
state Bank of India की website [www. onlinesbi.com](http://www.onlinesbi.com) पर मुख्य शीर्षक state Bank of India पर क्लिक करने पर state Bank Collect नामक उपशीर्षक पर क्लिक करें एवं सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए Proceed करें।
2. state Bank Collect पेज पर state Bank Corporate/Institution में All India Select करें तत्पश्चात् Type of Corporate/Institution में Govt. Department Select करें एवं Go को क्लिक करें।
3. Govt. Department Name में HINDI TEACHING SCHEME, DEPT.OF OFFICIAL LANGUAGE MHA को SUBMIT करें।
4. Select Payment Category में Hindi Teaching Scheme Select करें। Select करते ही एक फार्म खुल जाएगा।
5. इस फार्म को भरने के पश्चात् SUBMIT करें। SUBMIT करने के बाद अपने भरे हुए विवरण को Confirm कर Payment करें।
6. Payment करने के बाद Receipt के प्रिंट की फोटोप्रति उप निदेशक (परीक्षा) का कार्यालय, हिंदी शिक्षण योजना, पूर्वी खंड-7, तल-6, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110066